# झारखण्ड विधान सभा

## दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
संख्या-04

चतुर्थ(शीतकालीन) सत्र
शुक्रवार, दिनांक-18 दिसम्बर, 2015 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 03.57 बजे अप० तक।

**माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।**

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने प्रख्यात व्यक्ति श्री ज्यां द्रेज के मामले में डी.एस.पी. द्वारा अपने वरीय अधिकारी को समर्पित प्रतिवेदन पर विरोध जताया। इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री कुणाल षडंगी, श्री राजकुमार यादव एवं प्रतिपक्ष के अन्य कतिपय माननीय सदस्य भी अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ कह रहे थे जो शोरगुल के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था।)

### 1.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्नवत् हुआ-

**अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-53**

(i) उत्तरित कुल-09-'क'-64, अ० सू०-49, श्री शिवशंकर उराँव, स० वि० स०,
अ० सू०-111, श्री आलमगीर आलम, स० वि० स०,
अ० सू०-112, श्री अमित कुमार, स० वि० स०,
अ० सू०-113, श्री रवीन्द्रनाथ महतो, स० वि० स०,
अ० सू०-114, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, स० वि० स०,
अ० सू०-115, श्री शिवशंकर उराँव, स० वि० स०,
अ० सू०-116, श्री राधाकृष्ण किशोर, स० वि० स०,
अ० सू०-117, श्री मनीष जयसवाल, स० वि० स० एवं
अ० सू०-118, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स० वि० स०।

(ii)अनागत कुल-44- अ०सू०-119 से 162 तक।

### 2.शून्यकाल:-

(शून्यकाल की सूचना पढ़े जाने हेतु पुकारे जाने के उपरांत पक्ष एवं विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्य 'शून्यकाल' को लिये जाने सम्बन्धी बिना पूर्व सूचना के पंक्तिबद्ध होकर रजिस्टर में हस्ताक्षर किये जाने की व्यवस्था लागू किये जाने पर आपत्ति जतायी। इस सम्बन्ध में आसन द्वारा सदन को संसूचित किया गया कि सभा-सचिव द्वारा आसन के निदेश से ही उक्त व्यवस्था लागू की गयी है जिसे सभी माननीय सदस्यों के बीच परिचारित करा दिया जायेगा।)

**आसन द्वारा पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने शून्यकाल की सूचनायें पढ़ीं-**

श्री जगरनाथ महतो, स० वि० स०,
श्री साधु चरण महतो, स० वि० स०,
श्री प्रकाश राम, स० वि० स०,

P.T.O.

श्री बिदेश सिंह, स० वि० स०,
श्री कुणाल षडंगी, स० वि० स०,
श्री आलमगीर आलम, स० वि० स०,
श्री प्रदीप यादव, स० वि० स०, (आसन के निदेश से विभागीय मंत्री द्वारा इसे
श्री बिरंची नारायण, स० वि० स० संज्ञान में लिया गया।)
श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स० वि० स०,
श्री अनन्त कुमार ओझा, स० वि० स०,
श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता, स० वि० स०,
श्री दशरथ गागराई, स० वि० स०,
श्री योगेश्वर महतो, स० वि० स०,
श्री हरिकृष्ण सिंह, स० वि० स०,
श्री ईरफान अंसारी स० वि० स०,
श्री ताला मराण्डी, स० वि० स०,
श्री नागेन्द्र महतो, स० वि० स०,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, स० वि० स०,
श्री अमित कुमार, स० वि० स०,
श्री बादल, स० वि० स०,
श्री राजकुमार यादव, स० वि० स०,
श्री नारायण दास, स० वि० स०,
श्री लक्ष्मण टुडू, स० वि० स०,
श्री केदार हजरा, स० वि० स० एवं
श्री राज सिन्हा, स० वि० स०। शेष प्राप्त सूचनाओं को सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन से घोषणा की गयी।

## 3.विविध चर्चायें:-

दिनांक-17.12.2015 को सदन में झारखण्ड लोक सेवा आयोग पर लगे आरोप से सम्बन्धित आये विषय के सम्बन्ध में आसन के निदेश से माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य, सर्वश्री नवीन जयसवाल, राधाकृष्ण किशोर, रवीन्द्रनाथ महतो एवं श्री शिवशंकर उराँव ने विस्तार से झारखण्ड लोक सेवा आयोग की खामियों को सदन के समक्ष रखा और सी.बी.आई. जाँच की माँग करने लगे। इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा माननीय उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य मामलों में पूर्व में दिये गये फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया कि सरकार आयोग के कार्यो में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस क्रम में काफी शोरगुल होने लगा तत्पश्चात् आसन द्वारा निम्न नियमन दिया गया-

**''माननीय सदस्यगण, जिस विषय की चिन्ता सभी माननीय सदस्यों को है और इसके साथ ही साथ आज जिस विषय पर अपने संसदीय कार्य मंत्री काफी सुलझे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन और सहयोग इन्हें मिल रहा है और जो सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी भी है और पूरे राज्य की जनता निश्चित रूप से आज की जो संवैधानिक व्यवस्था नहीं भी है, अभी पूरे राज्य की जनता सदन की कार्यवाही को आशाभरी निगाहों से देख रही है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीन जो आधार स्तम्भ हैं, निश्चित रूप से तीनों में अगर कोई संवैधानिक**

P.T.O.

संस्थायें या कोई भी संस्थायें अपने संवैधानिक व्यवस्था के इतर जाता है तभी दूसरी संस्थाओं को एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि संवैधानिक ताना-बाना के साथ संवैधानिक संस्थाओं को अधिकार दिये गये है, लेकिन हमने देखा है कि वर्ष 2000 के बाद 2015 तक पाँचवीं जे.पी.एस.सी. की परीक्षा हुई है और जितनी भी परीक्षायें हुई हैं सभी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप से संवैधानिक संस्था होते हुए भी संदेह के घेरे में आम जनता की नजरों में आयोग आया है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। साथ ही साथ सरकार जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था के तहत सजगता के साथ अपना पक्ष रखने का प्रयास किया है। मैं निश्चत रूप से कहना चाहता हूँ कि क्या आयोग कानून से ऊपर है और सरकार विवश है? दूसरा, यह कि सरकार विवश हो सकती है लेकिन, सभा कभी विवश नहीं हो सकती है। आयोग अपना पक्ष न्यायालय में रखेगा, लेकिन सरकार अपने स्तर से तथ्यों की जाँच कर अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है? इसमें संवैधानिक अड़चन क्या है, सरकार अपने स्तर से आत्मसात करे और इस विषय पर निर्णय ले, चूँकि राज्य की जनता निश्चित रूप से इस विषय को देख रही है। मैं सरकार पर इस विषय को छोड़ते हुए सदन की कार्यवाही आज अपराह्न 02.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।''

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया

(इस अवसर पर माननीय सदस्या श्रीमती गीता कोड़ा ने छेड़खानी के कारण स्कूल छोड़े जाने सम्बन्धी अखबार में प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया। इस पर माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने जाँच कर कार्रवाई किये जाने की माँग की)

## 4.सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना:-

1. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 304(6) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के तृतीय मानसून सत्र में माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं से सम्बन्धित प्राप्त उत्तरों की संकलित प्रति सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई,
2. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री आलमगीर आलम द्वारा अल्प संख्यक, पिछड़ा एवं कमजोर वर्ग कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,
3. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत माननीय सभापति, श्रीमती मेनका सरदार द्वारा निवेदन समिति का 16वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,
4. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी द्वारा विधायक निधि अनुश्रवण समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

## 5.विधायी कार्य:-

### i- झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

P.T.O.

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

**झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

**ii- झारखण्ड सिंगल विंडो क्लियरेंस विधेयक, 2015**

माननीय प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से खण्ड-31 तक खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तत्पश्चात् **झारखण्ड सिंगल विंडो क्लियरेंस विधेयक, 2015** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

**iii- कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015**

माननीय प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तत्पश्चात् **कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा सदन का परित्याग किया गया।)

**iv- बिहार औद्योगिक (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी)(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015**

माननीय प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने तदुपरांत माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तत्पश्चात् **बिहार औद्योगिक (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी)(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

P.T.O.

v- ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन(झारखण्ड संशोधन) (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने तदुपरांत माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तत्पश्चात् ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन(झारखण्ड संशोधन) (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

vi- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय प्रभारी मंत्री श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 2 से खण्ड-04 तक खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तदुपरांत झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक- 21 दिसम्बर, 2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 18 दिसम्बर, 2015 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

—×— —×—